न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 59/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बारां
दायरा दिनांक : 26.07.2024
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र श्री बेनीराम जाति लश्करी, निवासी आमा तहसील अंता, जिला बारां

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार अंता, जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओम प्रकाश मेहता II अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 70/2016 बउनवान ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार अंता द्वारा प्रकरण संख्या 446/2015 धारा 91 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम आमा के आराजी खसरा संख्या 148 रकबा 1.32 में से 0.16 है0 भूमि किस्म गै0मु0 बरड़ा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत 2072 में फसल सोयाबीन की काश्त करने पर पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 10.12.2015 से 80/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 12.09.2023 से अपील खारिज की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. उक्त दोनों निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया तथा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा प्रथम आदेशिका किस दिनांक को लिखी गई, अंकित नहीं है। निर्णय दिनांक 10.12. 2015 की कोई आदेशिका पत्रावली पर नहीं हैं, दिनांक 23.12.2015 को आदेशिका लिखी गई है। तामील के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अंकन न हीं किया गया। दिनांक 23.12. 2015 का फैसला न होकर दिनांक 10.12.2015 को छपे हुए परफोर्मों पर निर्णय किया गया है। साथ ही रिपोर्ट पटवारी में कोई दिनांक अंकित नहीं है। न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न हीं नोटिस विधिवत रूप से तामील हुआ है। इसके उपरांत भी केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न हीं नोटिस विधिवत रूप से तामील हुआ है। इसके उपरांत भी केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डौन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार अंता द्वारा प्रकरण संख्या 446/2015 धारा 91 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम आमा के आराजी खसरा संख्या 148 रकबा 1.32 में से 0.16 है0 भूमि किस्म गै0मु0 बरड़ा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत 2072 में फसल सोयाबीन की काश्त करने पर पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 10.12.2015 से 80/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 12.09.2023 से अपील खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न हीं नोटिस विधिवत रूप से तामील हुआ है। इसके उपरांत भी केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अंता की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अपीलार्थी के ग्राम आमा की खसरा संख्या 148 की रकबा 1.32 है0 में से 0.16 है किस्म गै0मु0 बरड़ा पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत दिनांक 09.10.2015 को नोटिस जारी कर दिनांक 11.12.2015 को उपस्थित होने बाबत् सूचित किया गया। उक्त जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। बावजूद सूचना के अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 23.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध करवाते हुए तदनुसार प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में भी इसी खसरा नम्बरान की आराजी संवत

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2071 में भी अतिक्रमण किये जाने पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती होना साबित होने से निर्णय दिनांक 23.12.2015 से 80/- रूपये शास्ति एवं 30 दिन के सिविल कारावास का दण्डादेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा भी प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवायी का पर्याप्त अवसर दिया जाकर निर्णय दिनांक 12.09.2023 पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अंता के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस नहीं दिया गया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 12.09.2023 से अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी की पुष्टि होने के उपरांत अपील खारिज की गई है, जो प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा